FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान – अनुजकुमार आदि बनाम स्टेट आदि

धारा :– 48 व 49 आर.टी.ए.

मुकदमा नं0– 23 /2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्सा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
2.2.2018	यह प्रार्थना–पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। कर पत्रावली दिनांक 16.2.2018 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16/2/18	वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी पैरोकारराज उपस्थित। जवाब स्टेट पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 07/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
07/3/18	प्रार्थीगण के अधिवक्ता व पैरोकारराज उप0। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 48 व 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि चक 15 एचएमएच के खाता संख्या–6/2 में सम्वत 2069–2072 में पत्थर नम्बर– 136/268 (12) के किला नम्बर–1/0.222, 2/0.157 (गैरमुमकिन रास्ता 0.061), 3/2 में 0.103 कुल 0.482 हैक्टेयर व गैरमुमकिन रास्ता 0.061 हैक्टेयर है व इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण संख्या–1 व 2 की चक 15 एचएमएच के खाता संख्या–6/6 सम्वत 2069–2072 में पत्थर नम्बर– 135/268 (19) के किला नम्बर–4/0.253, 5/1 में 0.127 व किला नम्बर–7/0.253 कुल 0.632 हैक्टेयर तथा प्रार्थीया संख्या–3 की खातेदारी कृषि भूमि चक 15 एचएमएच के खाता संख्या–149/124 सम्वत 2069–2072 में पत्थर नम्बर– 135/268 (19) के किला नम्बर–5/2 में 0.126, 6/0.253 व किला नम्बर–9 से 13, में 1.265 कुल 1.644 हैक्टेयर है।	

प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का नजरीनक्शा प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है कि उनकी भूमि के नजदीक नगर परिषद् हनुमानगढ़ ने पक्की सड़क मंजूर की है तथा यह सड़क 40 फीट चौड़ी है। प्रार्थीगण की भूमि इस सड़क से दूर है तथा

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में भी नजरी नक्शा में वर्णित अनुसार सड़क हेतु समर्पण करना चाहते हैं तथा समर्पण से पूर्व अपनी उक्त भूमि का प्रार्थी पररपर विनिमय चाहते हैं। प्रार्थीगण संख्या–1 व 2 ने अपनी कृषि भूमि चक 15 एचएमएच के खाता संख्या–6/6 के पत्थर नम्बर–135/268 (19) के किला नम्बर–4 में दक्षिणी सिरे पर 40 गुणा 165 फीट अर्थात 0.061 हैक्टेयर विनिमय में प्रार्थीया संख्या–3 को देना प्रस्तावित किया है व इसकी एवज में अप्रार्थीया संख्या–3 ने अपनी कृषि भूमि के चक 15 एचएमएच के खाता संख्या–149/24 के पत्थर नम्बर–135/268 (19) के किला नम्बर–5/2 में 0.126 हैक्टेयर में उतरी सिरे पर 0.065 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण संख्या–1 व 2 को विनिमय में दिया जाना प्रस्तावित करती है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी ने दिनांक 16–02–2018 को जवाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये परस्पर विनिमय से राज्यहित प्रभावित नहीं होने का कथन किया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने संलग्न नजरी नक्शा अनुसार नगरपरिषद् द्वारा 40 फीट चौड़ी पक्की सड़क की सीध में अपनी भूमि में 40 फीट चौड़ी भूमि सड़क के लिये नगरपालिका को समर्पित करने से पूर्व अपनी भूमि का प्रार्थना–पत्र में वर्णित अनुसार विनिमय का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण संख्या–1 व 2 व प्रार्थीया संख्या–3 की भूमि एक ही किस्म की व एक ही मुरब्बा में स्थित है तथा विनिमय में दी जाने वाली भूमि भी लगभग समान है तथा इस प्रस्तावित विनिमय से प्रार्थीगण की भूमि समेंकित भी होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि का परस्पर विनिमय किये जाने की स्वीकृति दी जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 48 व 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण संख्या–1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि चक 15 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–6/6 के पत्थर नम्बर–135/268 (19) के किला नम्बर–4/0.253 है0 में दक्षिणी सिरे पर 40 गुणा 165 फीट अर्थात 0.061 हैक्टेयर प्रार्थीया संख्या–3 को विनिमय में दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा इसकी एवज में प्रार्थीया संख्या–3 की खातेदारी कृषि भूमि चक 15 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–149/124 के पत्थर नम्बर–135/268 (19) के किला नम्बर–5/2 में 0.126 है0 में उतरी सिरे पर 0.065 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण संख्या–1 व 2 को विनिमय में दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार बाद रहनमुक्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07–03–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner